रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 15 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 24, 1946 शक संवत्) [संख्या 11

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग.अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	123–130	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	297–318	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	..	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	293–327	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राजस्व विभाग

अनुभाग–14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 247/एक-14/2022–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला शामली के 50 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
शामली	कैराना	कबीरपुर अहतमाल, फतेहपुर अहतमाल, जन्धेड़ी, बसेडा अहतमाल, पहाड माजरा, नंगलाराई अहतमाल हाल, कैराना 1अ0 ह0 ज0वि0क्षे0, मवी अहमाल हाल, मवी अह0 साबिक, मामौर अह0सा0, मामौर बि0 अह0, कांधला उत्तरी, कांधला दक्षिणी, कांधला पूर्वी, कांधला अ0हदू0ज0वि0क्षै0, गंगेरू पूर्वी, गंगेरू पश्चमी, गंगेरू उत्तरी, कैराना अन्दर हदूद ह0नं0 2, कैराना अन्दर हदूद ह0नं0 3,
	शामली	जलालाबाद, आहतागोसगढ, ख्यावडी, जमालपुर, हिरनवाड़ा, धनैना, भैंसवाल, कुड़ाना, लाक, कसेरवा खुर्द, लिसाढ़ उत्तरी, सुन्ना, ताहरपुर भभीसा, एलम, लिसाढ़ दक्षिणी, बनत द्वितीय, भैंसवाल द्वितीय, शामली, भनेडा, हुरमजपुर,
	ऊन	चोसाना कदीम, ऊन, ढिंढाली, साल्हापुर, मंगलौरा कदीम, मंगलौरा जदीद, शीतल गढी, बिडौली, खुवाजपुरा, भाऊमजरा,

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section-14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 247/1-14/2022,** dated April 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 247/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 50 Villages of District-Shamli specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
Shamli	Kairana	Kebeerpur Ahatmali, Fatehpur Ahatmali, Jangheri, Basera Allvvival, Paharmazra, Naglarai Ahatmali Hal, Kairanaa Rural, Mawi Timali Hall, Mawi Ahatmali Qadim, Mamaur Ahatmali Qadim, Mamur Non Aht., Kandhla North, Kandhla South, Kandhla East, Kandhla, Gangeru Purvi, Gangeru Pashchami, Gangeru Uttari, Kairana. Andar Haddu H. No.2, Kairana Andar Haddu H. No.3,
Do.	Shamli	Jalalabad (Rural), Ahata Gos Garh, Khiavri Jamalpur, Hiranwara, Dhanena, Bhainswal, Kudana, Lak, Kaserwakhurd, Lisarh North, Sunna, Taharpur Bhabisa, Ailum, Lisadh South, Banat 2nd, Bhainswal 2nd, Shamli, Bhaneda, Hurmajpur,
Do.	Unn	Chausana Kadim, Un Rural, Dhindhali, Salhapur, Manglora Aht. Kadeern, Mangalora Aht. Jadeed, Shital Garhi, Bidauli, Khuwajpura, Bhau Mazra.

By Order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग–14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 173/एक-14/2022–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला सहारनपुर के 156 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
सहारनपुर	बेहठ	मायापुर रूपपुर, कासमपुरम पाडली, नूर पुर उर्फ भरावड़, अली अकबर पुर, बडकला, मढती अहतमाल, मढती मु0, छज्जा मुस्तहकम, शाहपुर बॉस अह0, अला0 बाँस मु0, महमूदपुरनगलीमु0, नित्यानन्दपुर मुस्तकम, माटका, नौशेरा तातारपुर, रायपुर, शमसपुर, शहजादपुर बांस मु0, अमादपुर मु0कदीम, बेहट बैरून, मिरगपुर पान्जू0, अलीपुर भागू0, जसमोर, जैतपुर कलां, मुस्सापुर मुस्तहकम, मुस्सापुर अह0, कालूवालाप0 पुर, कालूवाला0जहा0उ, थापल ईस्माईलपुर, मिर्ज़ापुरग्रन्ट मु0, शेरपुर खाना0, जयन्तीपुर मुस्त, शमसपुर, जयन्तीपुर अह0, अकलसिया, मुसैल, हाजीपुर, चौन्दाहेडी अहत, अमादपुर मु0जदीद, लालपुर मु0 जदीद, सा0भूड मु0जदीद, कालूवाला जहा0द, सुन्दरपुर म0 था0ईस्म0,
सहारनपुर	सहारनपुर	रीढी मोहीद्दीनपुर, सलेमपुर भुखडी, सरकडी खुमार, माण्डेबास, जयरामपुरउर्फनानका, गंगाली, नल्हेडा गुर्जर, शेखपुरा कदीम, खजूरीअकबरपुरमु0, आराजीतौफीर, दराआलीस्वादबै0, दराकोटतलास्वादबैरून, दरामिलकानाबैरून, दरराजपुरास्वा0अ0, दराशिवपुरीस्वादबैरून, पंजौराअ0 Z.A., माहीपुराअन्द0 Z.A., मौ0पुर माफी बैरून, चिलकाना अ0ह0 Z.A., सुलतानपुर अ0हदूद Z.A.,
	नकुड़	कमालपुर, बाजिदपुर, ढिक्का कलां, टबरा मु0, सुनारपुरा, सरसोहेडी, मन्धोर मुस्तहकम, टाबर अहतमाल, नसरूल्लागढ मु0, मोहीदीनपुर, बहलोलपुर, बम्बंयाला, पिलखना, बहादरपुर, जैनपुर, चकटपरी, अम्बेहटा बाहर हदूद, चन्द्राओ, बाधी अहतमाल, नाहर मजरा मुस्तहकम, रानीपुर बरसी अह0, डाला मजरा, थामनी, सालारपुरा, कमालपुर, सुखेड़ी, जबती छपरा, शाहअलीपुर उर्फहमीरपुर, शकरपुर साकरौर अह0, शकरपुर साक0मुस्त0, बेगी, मानपुर अहतमाल, खालिदपुर, बांसदेवी, कुन्डा खुर्द, कुंडा कलां, धानवा, गंगोह अन्दर हदूद, गंगोह खालसा बा0ह0द्वि0, गंगोह म0बा0द्वि0, तीतरो अन्दर हदूद, नकुड अन्दर हदूद Z.A., सरसावा अन्दरहदुद ज0व, कलसोरा, खराजपुर, चौगांवा, जडोली, नबीपुर, बेगी नौबरार, शेर गढ टापू, नागल माफी, महमदपुर, मानपुर नौबरार, शाहअलीपुर उर्फहमीरपुर, सैयद छपरा,
	देवबन्द	आमकीदी0पुर अह0, इस्माईलपुरमु0म0च0को0, कुरडी, देवबन्द 1का 1बै0हदूद, चकभर्गवती दास, मीरगपुर, केन्दूकी, चकराम वाडी बैरूनहदूद, कुरलकी, चन्दैनाकोली मु02, चकरामबाडी अ0ह0 Z.A., देवबन्द 1का 2बै0 हदूद, देवबन्द खा0अ0ह0 Z.A., देवबन्द खालसा बेरून, देवबन्द म0बरूनहदूद प, देवबन्द मज02बै0हदूद, देवबन्द मजबता अ0हदूद, देवबन्दम0प01अ0ह0 Z.A.,देवबन्दम0प02अ0ह0 Z.A., नूरपुर अ0ह0 Z.A.,
	रामपुर मनिहारन	सरगथल मु0, रामपुर खालसा बैरून, हलगोया अह, चकवाली, सांवत खेडी अह0, शब्बीरपुर अह0, नानौता पट-1 बै0हदूद, बडगांव, शिमलाना अह0, जडौदा पांडा-1, रतनहेड़ी मु0, ननौतापट-2अ0ह0Z.A.न0सी, नानोतापट2अ0ह0Z.A.पू0सी0, नानौतापट-2 बै0हदूद, नानौतापट1अ0ह0Z.A.न0सी0, रामपुर खालसा अ0ह0 Z.A., रामपुर मज0अ0ह0 Z.A.,रामपुर मजबता बैरून, नानौतापट 1अ0ह0 Z.A.पू0सी,

आज्ञा से
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section-14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 173/1-14/2022,** dated April 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 173/1-14/2022–In exercise of the powers under sub-section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 156 Villages of District Saharanpur specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
Saharanpur	Behat	Mayapur Rooppur, Qasimpur Mazra Padli, Noorpur *Urf* Bharawad, Ali Akbarpur, Barkalan, Madathi Aht, Madathi Must, Chhajja Must, Shahpur Bans Aht, Alauddinpur Bans Must, Mahmoodpur Nagli Must, Nityanandpur Must, Matka, Noshera Tatarpur, Raipur, Shamaspur, Shahzadpur Bans Must, Amadapur Mu. Kadeem, Behat Beroon, Miragpur *Urf* Panjuwala, Alipur *Urf* Bhaguwala, Jasmaur, Jaitpur Kalan, Mussapur Must, Mussapur Aht, Kalu Wala Pahadipur, Kaluwala Jahanpur U., Thappal Ismailpur, Mirzapur Grant Must., Sherpur Khanzadpur, Jayantipur Must., Shamaspur, Jayantipur Aht., Akal Siya, Musail, Hajipur, Chaunda Hedi Aht., Amadpur Mu.Zadeed, Lalpur Mu. Zadeed, Sadholi Bhoor Mu. Zadid, Kaluwala Jahan Dak., Sunderpur M.Tha.lsma.,
Do.	Saharanpur	Redi Mohiuddinpur, Salampur Bhukdi, Sarakdi Khumar, Mande Bans, Jairampur *Urf* Nanka, Gangali, Nalheda Guzar, Shekhpura Kadeem, Khazoori Akbarpur Must, Arazi Tofeer, Draali Swad Baroon, Drakottala Swad Baroon, Dramilkana Swad Baroon, Drarajpura Swad A0, DraShivpuri Swad Baroon, Pajora A0 Z.A.,Mahipura And. Z.A., Mo. pur Mafi Baroon,Chilkana A0H0 Z.A,, Sultanpur A0Hdood Z.A.,
Do.	Nakur	Kamalpur, Wajidpur, Dhikka Kalan, Tabra Must., Sunarpura, Sarso Heri, Mandhaur Must., Tabar Aht, Nasrulla Garh Must., Mohiuddinpur, Bahlolpur, Bambyala, Pilkhana, Bahadarpur, Jainpur, Chaktapari, Ambehata Bahar Hadood, Chandrao, Badhi Aht., Nahar Mazra Must., Ranipur Barsi Aht., Dala Mazra, Thamni, Salar-Pura, Kamalpur,Sukheri, Japti Chhapra, Shah Alipur *Urf* Hamidpur,Shakarpur Sakror Aht., Shakarpur Sakror Must., Begi, Manpur Aht., Khalidpur, Bansdevi, Kunda Khurd, Kunda Kalan, Dhanwa, Gangoh Andar Hadood, Gangoh Khalsa Ba0H0Second, Gangoh M0Ba0 Second, Titron Andar Hadood, Nakur Andar Hadood Z.A, Sarsawan Andar Hadood Z.B., Kalsora, Kharajpur, Chaugawan, Jadoli, Nabipur, Begi Naubrar, Sher Garh Tapu, Nagal Mafi, Mahamadpur, Manpur Naubrar, Shahalipur *Urf* Hamirpur, Saiyad Chapra,

1	2	3
Saharanpur	Deoband	Aamki Dipchandpur Aht, Ismailpur Mus. Majra Chandena Koli, Kurdi, Deoband 1 Ka 1 Beroon Hadood, Chak Bhagwati Das, Miragpur, Kendki, Chackram Badi (Lal Wala), Kuralki, Chandena Koli Must. 2, Chakram Badi Ah Z.A, Deoband 1 ka 2 Ba0 Hadud, Deoband Kha.Ah.Z.A., Deoband Khalsa Berun, Deoband M. Barun Hadud P, Deocband Mz02 Ba0 Hadud, Deoband Mazbata A. Hadud, Deoband M. P. 1 Ah. ZA, Deoband M. P. 2 Ah.Z.A, Noorpur A0H0 Z.A.,
Do.	Rampur Maniharan	Sargathal Mu., Rampur Khalsa Baroon, Halgoya Aht., Chakwali, Sanvat Kheri Aht., Shabbirpur Aht., Nanauta Pat-1 Baroon Hadood, Badgaon, Shimlana Aht Jadauda Panda 01, Ratan Heri Must., Nanauta Pat-2 A.H.ZA.N.Si, Nanauta Pat 2 A.H.ZA Pu.Si., Nanauta Pat-2 Ba.Hadood, Nanauta Pat 1 A.H.ZA N.Si., Rampur Khalsa A.H.ZA, Rampur Maj0A0H0Z.A., Rampur Majbta Baroon, Nanauta Pat 1 A.H.ZAPu.Si.,

By order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

राजस्व विभाग

अनुभाग–14

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 174 / एक-14 / 2022–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला मुजफ्फरनगर के 112 ग्राम, ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के प्रयोजनार्थ, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अधीन रखे जायेंगे।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम
1	2	3
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	बुड्ढाखेड़ा, दूधली, पिलखनी, कान्हाहेड़ी, चौकडा, मुथरा, नंगलाराई, न्यामू, बिरालसा, बिरालसी, पीपलशाह, भमेला, चरथावल (प्रथम), रसूलपुर, महमूदपुर उर्फ लकडसधा, बधाई कँला, कसियारा, सादपुर, बाननगर, मलीरा, छपार, सलेमपुर, शाहजहांपुरउर्फरंडावली, उदियावाली, अहमदपुर, गोधना, कालेवाला, सिमर्थी, खामपुर, रई, दतियाना, नसीरपुर, मीरापुर, बहादरपुर, धोलडा, शमशनगर, धनसैनी, तितावी, लखांन, बघरा-1, पीनना, नूनाखेडा, ढिंढावली, कुटबा, कुटबी, बुड़ीना कलां, अटाली, कुटेसरा-II, पुरकाजी(बाहर हदूद), बसेड़ा-II, अलमासपुर (बाहर हदूद), कूकडा (बाहर हदूद), मु0नगर अन्दर हदूद, मु0नगर बाहर हदूद, युसूफपुर (अन्दर हदूद), युसूफपुर (बाहर हदूद), शाहबुद्दीनपुरबाहरहदू, सरवट(बाहरहदूद), बघरा-II,

1	2	3
मुजफ्फरनगर	बुढ़ाना	सराय, बहलोलपुर, बुढानाबांगर, खिजरपुर, वैल्ली, रियावलीनगला, चन्धेड़ी, अटाली, सिसौली, हलौली, आलमपुर श्यामलात, शोरों दक्षिणी,
	खतौली	नावला, खानपुर, खतौली रूरल, खतौला अरबन, खतौली अरबन,
	जानसठ	तिसंग, काजीपुर उर्फकादीपुर, सीकरी, मजलिसपुर, लुकादड़ी, बरामदा हाजीपुर, भोकरहेडी, तेवडा, कल्याणपुर अहतमाल, महमूदपुर डूंगर, शिवपुरी, कल्यणपुर गैर अहतमाल, जलालपुर बेहडा, आखा खेडी, नरूल्ला पुर, धारी वाला जदीद, धारी वाला साबिक, दरयावपुर, ककरौली, नवलपुर, रणजीतपुर, गांवड़ी गैर अह, गावडी अहतमाली, उजयाली खर्द अहत, उजयाली कलाँ अह, रामपुर ठकरा, गोकुलपुर छप्पर, हंसावाला, शेखपुर चमरा, खानजहाँपुर, धर्मपुरा जदीद, आलमपुर, धर्मपुरा कदीम, भुम्मा, कथोडा, मीरापुर,

आज्ञा से
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

REVENUE DEPARTMENT

Section-14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article-348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 174/1-14/2022,** dated April 25, 2022.

NOTIFICATION

April 25, 2022

No. 174/1-14/2022–In exercise of the powers under sub section (2) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the 112 Villages of District-Muzaffarnagar specified in the Schedule below shall be placed under Svamitva Yojna of Government of India for the purpose of Survey and Record Operation of the Village Abadi areas with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village
1	2	3
Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	Budhakhera, Dhughli, Pilakhni, Kanahheri, Chokra, Muthra, Nagla Rai, Naiamu, Biralsa, Biralsi, Pipalshah, Bhamela, Charthawal Rural, Rasulpur, Mahmoodpura Lakarsandha, Badhaikalan, Kasiara, Sadpur, Bannagar, Malira, Chhapar, Salempur, Shajhahanpur *Urf* Radawli, Udyawali, Anmedpur, Godhna, Kalewala, Samarthi, Khampur, Raee, Datiyana, Nasirpur, Mirapur, Bahadarpur, Dholara, Shamashpur, Dhansani, Titavi, Lakhan, Baghra, Pinna, Nuna Khera, Dhindhawali, Kutba, Kutbi, Budina Kalan, Atali, Kutesra II, Purkazi (Baher Hadood), Baserah-II, Almaspur (Baher Hadood), Kukra (Baher Hadood), Muzaffarnagar (Ander Hadood), Muzaffarnagar (Baher Hadood), Yusufpur (Ander Hadood), Yusufpur (Baher Hadood), Shahbuddinpur (Baher Hadood), Sarwat (Baher Hadood), Baghra II,

1	2	3
Muzaffarnagar	Budhana	Sarai, Bahlolpur, Budhana Bagar, Khizzarpur, Valli, Riawali Nagla, Chandheri, Atali, Sisauli, Haloli, Alampur Shamlat, Shoron Dakshini,
Do.	Khatauli	Nawala, Khanpur, Khatauli Rural (CT), Khataula Urban, Khatauli Urban,
Do.	Jansath	Tisang, Kazipur *Urf* Kadipur, Sikari, Majlishpur, Lukadhari, Baramda Hajipur, Bhoker Heri, Tewra, Kalyanpur Ahatmali, Mahmoodpur Dunger, Shivpuri, Kalyanpur Non Ahatmali, Jalalpur Behra, Akakheri, Nurullapur, Dhari Wala Zadid, Dhariwala Qadim, Dariyapur, Kakarauli, Nawalpur, Ranjitpur, Gawari Gair Ahatmali, Gawari Ahatmali, Ujaili Khurd Ahetmali, Ujiyalikalan Aht, Rampur Thakra, Gokulpur Chhppar, Hansawala, Shekhpur Chamra, Khanjahanpur, Dharmapur Jadid, Alampur, Dharampura Qadim, Bhoomma, Kithora, Meeranpur.

By Order,
Manoj Kumar Singh,
Additional Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0—50 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 24, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

April 14, 2024

No. 1381/Admin.(Services)/2024–In supersession of Court's Notification No. 1018/Admin.(Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Smt. Anjali Rani, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi.

No. 1382/Admin.(Services)/2024–Sushri Rashmi Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Unnao to be Civil Judge (Junior Division) (North), Unnao.

April 15, 2024

No. 1383/Admin. (Services)/2024–In partial modification in Court's Notification No. 1337/ Admin. (Services)/2024 dated 13 April, 2024, the words 'Azamgarh' be read as 'Gorakhpur'.

No. 1384/Admin. (Services)/2024–The Court's Notification No. 1213/Admin. (Services)/2024 dated 13 April, 2024 is hereby cancelled.

No. 1385/Admin.(Services)/2024–In supersession of Court's Notification No. 1314/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Sushri Bushra Noor, Additional Civil Judge (Junior Division), Maharajganj is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Bahraich *vice* Sushri Piyushika Tiwari.

No. 1386/Admin.(Services)/2024–Sushri Piyushika Tiwari, Judicial Magistrate, First Class, Bahraich to be Civil Judge (Junior Division), Kaiserganj sitting at Bahraich.

No. 1387/Admin.(Services)/2024–In supersession of Court's Notification No. 898/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Sri Mohd. Sapheek, Additional District & Sessions Judge, Bansi, Siddhartanagar to be Additional District & Sessions

Judge/Special Judge, Sitapur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 1388/Admin.(Services)/2024–In supersession of Court's Notification No. 495/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Sri Mahendra Singh-IV, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 1389/Admin.(Services)/2024–In supersession of Court's Notification No. 914/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Sri Vijay Kumar Azad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sitapur.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sitapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1390/Admin. (Services)/2024–In partial modification in Court's Notification No. 695/Admin. (Services)/2024 dated 13.04.2024, the designation be read as "Additional District & Sessions Judge, Firozabad" in place of District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 1391/Admin. (Services)/2024–The Court's Notification No. 852/Admin. (Services)/2024 dated 13.04.2024 is hereby cancelled.

No. 1392/Admin.(Services)/2024–In supersession of Court's Notification No. 843/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Sushri Shirin Zaidi, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kaushambi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court.

No. 1393/Admin.(Services)/2024–In supersession of Court's Notification No. 842/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Sri Ashok Kumar Srivastava, Joint Registrar (Judicial) (Selection & Appointment), High Court, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kaushambi in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 1394/Admin. (Services)/2024–Sri Ram Pyare, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mirzapur to be Presiding Officer, Commercial Court, Gorakhpur.

No. 1395/Admin.(Services)/2024–In supersessions of Court's Notification No. 832/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Sri Lalit Narayan Jha, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Presiding Officer, Commercial Court, Jhansi.

No. 1396/Admin. (Services)/2024–Sri Ajay Singh-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Shravasti at Bhinga to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Fatehpur in the court created under 14th Finance Commission.

April 16, 2024

No. 1397/Admin.(Services)/2024–In supersessions of Court's Notification No. 644/Admin. (Services)/ 2024 dated 13.04.2024, Smt. Poonam Rajput, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge, Baghpat.

April 17, 2024

No. 1398/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Satya Prakash, Principal Judge, Family Court, Budaun is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Mirzapur.

No. 1399/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O. M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Udai Pratap Singh, Presiding Officer, Commercial Court, Court No. 2, Gautam Buddha Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Jhansi.

No. 1400/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Amber Rawat, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Jhansi is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Saharanpur.

No. 1401/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Sanjay Kumar-II, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Deoria is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Moradabad.

No. 1402/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Shesh Mani, Principal Judge, Family Court, Bahraich is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ayodhya.

No. 1403/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Mahesh Nautiyal, Principal Judge, Family Court, Lalitpur is appointed/posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Agra.

No 1404/Admin. (Services)/2024–Sri Kanishk Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Muzaffarnagar *vice* Sri Sita Ram.

He is also appointed U/s 12-A of U. P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Muzaffarnagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1405/Admin. (Services)/2024–Sri Sita Ram, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 1406/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O. M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Rajnish Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Muzaffar Nagar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Auraiya.

No. 1407/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Manoj Kumar Rai, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bulandshahar is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Deoria.

No. 1408/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Dhruva Kumar Tiwari, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (South) is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Raebareli.

No. 1409/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024. dated 16.04.2024, Sri Mahendra Nath, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Raebareli is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar (South).

No. 1410/Admin.(Services)/2024–Smt. Roopali Saxena, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur *vice* Sri Ranjeet Kumar.

She is also appointed: U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Jaunpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1411/Admin. (Services)/2024–Sri Ranjeet Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Udai Bhan Singh.

No. 1412/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Udai Bhan Singh, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur is appointed/ posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Gorakhpur.

No. 1413/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Rajesh Kumar Rai, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur is appointed/ posted as Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Basti.

No. 1414/Admin. (Services)/2024–Smt. Neha Anand, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Shahjahanpur *vice* Sri Abhay Pratap Singh-I.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Shahjahanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1415/Admin. (Services)/2024–Sri Abhay Pratap Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 1416/Admin. (Services)/2024–Smt. Garima Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Shahjahanpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Ashish Varma.

No. 1417/Admin. (Services)/2024–Sri Ashish Varma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 1418/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Arvind Rai, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Siddharth Nagar.

No. 1419/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Arbind Kumar Upadhyay, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kaushambi is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ballia.

No. 1420/Admin. (Services)/2024–Sri Brijesh Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kaushambi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sushri Shirin Zaidi.

No. 1421/Admin. (Services)/2024–Sushri Shirin Zaidi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 1422/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Smt. Meena Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kaushambi.

No. 1423/Admin. (Services)/2024–Sri Chandra Vijay Srinet, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahr *vice* Sri Vivek Kumar-I.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bulandshahr against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1424/Admin. (Services)/2024–Sri Vivek Kumar-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Vijai Pal.

No. 1425/Admin. (Services)/2024–Sri Vijai Pal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr.

No. 1426/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Dr. (Smt.) Manu Kalia, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahr is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Bulandshahr.

No. 1427/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Sanjay Hari Shukla, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Agra is appointed/posted as Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ghazipur.

No. 1428/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 378/II-4-2024 dated 16.04.2024, Sri Rahul Kumar Katyan, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ghazipur is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Ayodhya.

No. 1429/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/335/ VII-Nyay-2-2024-58G/2001 T.C. dated 16.04.2024, Sri Sanjay Kumar-III, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Saharanpur is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Bahraich.

No. 1430/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. -/2024/335/ VII-Nyay-2-2024-58G/2001 T.C. dated 16.04.2024, Sri Satya Deo Gupta, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Ayodhya is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Barabanki.

No. 1431/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/335/ VII-Nyay-2-2024-58G/2001 T.C. dated 16.04.2024, Sri Mittar Pal Singh, Presiding Officer, Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Authority, Gorakhpur is appointed/ posted as Principal Judge, Family Court, Budaun.

No. 1432/Admin. (Services)/2024–Smt. Sneh Lata Singh, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh *vice* Sri Babu Ram.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Pratapgarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1433/Admin. (Services)/2024–Sri Babu Ram, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1434/Admin. (Services)/2024–Sri Har Vindra Singh, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Ahsanullah Khan.

No. 1435/Admin.(Services)/2024–Sri Ahsanullah Khan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 1436/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/335/ VII-Nyay-2-2024-58G/2001 T.C. dated 16.04.2024, Sri Nand Pratap Ojha, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Lalitpur.

No. 1437/Admin. (Services)/2024–Sri Jay Prakash, Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri *vice* Smt. Indira Singh.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Mainpuri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1438/Admin. (Services)/2024–Smt. Indira Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri *vice* Smt. Mita Singh.

She is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act, 1983 as Special Judge at Mainpuri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1439/Admin. (Services)/2024–Smt. Mita Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Champat Singh.

No. 1440/Admin. (Services)/2024–Sri Champat Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge, Mainpuri.

No. 1441/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No. /2024/335/ VII-Nyay-2-2024-58G/2001 T.C. dated 16.04.2024, Smt. Munawar Jahan, Additional District & Sessions Judge, Mainpuri is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Hamirpur.

No. 1442/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/329/ VII-Nyay-2-2024-58G/2001 dated 16.04.2024, Sri Virendra Kumar Pandey, Presiding Officer, Commercial Court, Court No. 2, Lucknow is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Ballia.

No. 1443/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government Notification No./2024/329/ VII-Nyay-2-2024-58G/2001 dated 16.04.2024, Km. Aradhana Rani, Principal Judge, Family Court, Hamirpur is appointed/posted as Principal Judge, Family Court, Basti.

No. 1444/Admin. (Services)/2024–Smt. Rekha Sharma, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Km. Rinku.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1445/Admin. (Services)/2024–Km. Rinku, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun *vice* Sri Suyash Prakash Srivastava.

She is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1446/Admin. (Services)/2024–Sri Suyash Prakash Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Ishtiaq Ali.

No. 1447/Admin. (Services)/2024–Sri Ishtiaq Ali, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 1448/Admin. (Services)/2024–Sri Sunit Chandra (Sonu), Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Presiding Officer, Commercial Court, Court No. 2, Gautam Buddha Nagar.

No. 1449/Admin. (Services)/2024–Sri Alakh Kumar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur *vice* Sri Shakti Singh-I.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghazipur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 1450/Admin. (Services)/2024–Sri Shakti Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Sri Mohd. Ghazali.

No. 1451/Admin. (Services)/2024–Sri Mohd. Ghazali, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

April 18, 2024

No. 1452/Admin. (Services)/2024–The Court's Notification Nos. 1420 & 1421/Admin. (Services)/ 2024 dated 17.04.2024 are hereby cancelled.

No. 1453/Admin. (Services)/2024–Pursuant to Government O.M. No. 864/VII-Nyay-1-2024-8(Pra)/2008 dated 10.04.2024, Sri Divesh Chandra Samant, Special Officer (Vigilance), High Court, Allahabad is appointed/posted as the Director, Judicial Training and Research Institute, U.P., Lucknow.

No. 1454/Admin. (Services)/2024–Sri Saket Bihari 'Deepak', District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur to be Special Officer (Vigilance), High Court, Allahabad.

No. 1455/Admin. (Services)/2024–Sri Durg Narain Singh, Principal Judge, Family Court, Barabanki to be District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur.

No. 1456/Admin. (Services)/2024–Sri Ram Prakash Pandey, Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Siddharthnagar to be Presiding Officer, Commercial Court, Court No. 2, Lucknow.

By Order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

कार्यालय आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी

आकार पत्र–1

19 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 481/12ए-एल0आर0ए0-28(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-138/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	634	0.636	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					1633	0.142		
					1759	0.603		
					1757	0.105		
					1743	0.227		
					1704	0.271		
					1694	0.239		
					191	0.032		
					260	0.162		
					137	0.356		
					185	0.259		
					168	0.113		
					234	0.101		
					151	0.016		
					162	0.502		
					1287	0.456		
					1290	0.138		
					1035	0.150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	947	0.336	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					753	0.186		
					756	0.235		
					744	0.680		
					1028	0.227		
					958	0.182		
					697	0.060		
					711	0.081		
					739	0.081		
					729	0.356		
					728	0.202		
					727	0.028		
					629	0.182		
					642	0.595		
					640	0.348		
					631	0.206		
					612	0.486		
					391	0.065		
					390	0.032		
					386	0.166		
					325	0.154		
					420	0.368		
					414	0.239		
					412	0.514		
					521	0.008		
					581	0.255		
					565	0.551		
					547	0.154		
					518	0.077		
					512	0.154		
					510	0.243		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	राजापुर	556	0.210	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					554	0.077		
					552	0.097		
					500	0.271		
					479	0.182		
					478	0.088		
					476	0.186		
					477	0.312		
					489	0.223		
					485	0.218		
					483	0.202		
					482	0.806		
					465	0.130		
					462	0.328		
					460	0.717		
					444	0.702		
					442	0.591		
					1982/212	0.020		
					1971	0.121		
					1734	0.121		
				योग. .		**17.508**		

सं0 482/12ए-एल0आर0ए0-29(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-137/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	डोंगरी	74	0.024	श्रेणी-5(1) नवीन परती	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					120ग	6.010		
					136ग	0.105		
					137	0.081		
					138ख	0.081		
					141	0.061		
					186मि0	0.233		
					234ख	0.101		
					316ख	8.653		
					328ख	0.001		
					340ख	0.324		
					345क	0.040		
					517	0.283		
					519	0.089		
					637मि0	0.035		
					650	0.077		
					701ख	0.118		
					724ड़	0.081		
					788ख	0.629		
					24	0.134		
					26	0.125		
					32ग	0.053		
					70	0.154		
					87ग	0.016		
					98ग	0.343		
					100	0.446		
					106ख	1.198		
					120क	8.021		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	डोंगरी	142	0.170	श्रेणी-5(1) परती	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					163	0.251		
					182ख	0.126		
					191	0.129		
					199	0.040		
					212ख	0.170	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	
					213	0.218		
					231	0.242		
					280	0.065		
					325ख	0.089		
					344	0.151		
					345ख	1.830		
					598/839	0.053		
					607	0.263		
					639	0.081		
					641	0.117		
					643	0.040		
					644	0.045		
					646	0.890		
					732	0.191		
					772	0.049		
					793क	0.100		
					825	0.049		
				योग. .		**32.875**		

05 जुलाई, 2024 ई0

सं0 642/12ए-एल0आर0ए0-47(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-318/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	डगरावाहा	580/3	0.008	श्रेणी-6(4)	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					590	0.089		
					880	0.045		
					914/1	0.085		
					1033	0.093		
					1092	0.057		
					1093	0.121		
					1115/2मि0	0.024		
					1211/1मि0	0.238		
					1217/3मि0	0.141		
					1313	0.130		
					1342/2	2.132		
					1343	2.039		
					1409	0.045		
					1440	0.255		
					1495	0.455		
					1503	1.635		
					1504	4.047		
					1505	1.096		
					1506मि0	0.809		
				योग. .		**13.494**		

सं0 643 / 12ए-एल0आर0ए0-46(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-320 / 12ए-डी0एल0आर0सी0 / पुनर्ग्रहण / 2023-24 दिनांक 29 जून, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578 / एक-1-1099 / 46 / 2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में

उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	अम्बाबॉय	174	0.340	श्रेणी-6(4)	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					214/ग	1.361		
					215ख	1.026		
					216	0.081		
					244	0.298		
					280	0.024		
					282ख	3.007		
					284ड़	0.109		
					307ख	2.034		
					315	0.696		
					316	0.032		
					2390ग	1.328		
					2541घ	0.768		
					2623ग	0.550		
				योग. .		**11.654**		

08 जुलाई, 2024 ई0

सं0 646/12ए-एल0आर0ए0-48(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-323/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 02 जून, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बरूआपुरा	14	0.053	श्रेणी-6(4) पत्थर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					15	0.089		
					24	0.020		
					27	0.077		
					36	0.344		
					54	0.535		
					56	0.050		
					58	0.692		
					42	0.069		
					46	0.320		
					65	0.267		
					80	0.097		
					85	0.081		
					99	0.239		
					146	0.105		
					150	0.065		
					151	0.040		
					136	0.158		
					284 / 2	0.065		
					366	0.089		
					443	0.324		
					702	0.684		
					712	0.231		
					731	0.380		
					760	0.077		
					807मि0	0.097		
					808	0.105		
					813मि0	0.080		
					815	0.158		
					853	0.182		
					861	0.405		
					923	0.097		
					926	1.032		
					928	0.045		
				योग. .		**7.352**		

सं0 647/12ए-एल0आर0ए0-45(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-317/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 28 जून, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	झांसी	झांसी	झांसी	पुनावली कलां	1	हेक्टेयर 3.979 में से 0.740	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					2	11.971 में से 5.900		
					3	0.032		
					4	17.276		
					5	3.408		
					9	0.688		
					10	0.255		
					11	0.105		
					12	0.174		
					13	0.854		
					14	0.914		
					15	2.752		
					16	0.757		
					17	0.664		
					18	0.269		
					19	0.591		
					20	0.154		
					21	0.214		
					22	0.433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	पुनावली कलां	23	0.012	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					24	0.178		
					25	1.412		
					26	0.364		
					27	0.688		
					28	2.496		
					29	0.801		
					30	0.571		
					31	6.555		
					32	0.543		
					33	0.109		
					34	0.202		
					35	0.008		
					36	1.270		
					51	0.640		
					58	0.705		
					59	0.874		
					75	3.889 में		
						से 1.461		
					81मि0	3.384 में		
						से 3.016		
					86	1.566 में		
						से 1.000		
					87	0.421 में		
						से 0.210		
					94	0.162		
					95	0.543		
					96	0.462		
					98	0.166		
					99	0.466		
					100	0.150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
	झांसी	झांसी	झांसी	पुनावली कलां	102	0.142	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					103	1.302		
					104	0.445		
					105	1.537		
					106	2.811		
					107	0.283		
					108	0.162		
					109	0.158		
					110	0.356		
					111	0.328		
					112	0.255		
					113	0.049		
					114	0.057		
					115	0.166		
					116	0.231		
					117	0.259		
					118	0.271		
					119	0.138		
					120	0.138		
					121	0.595		
					126	0.130		
					127	0.344		
					128	0.121		
					129	0.364		
					130	0.028		
					131	0.243		
					132	0.202		
					133	0.648		
					134	1.449		
					135	0.036		
					136मि0	1.149		
					139	0.251		
					140	0.450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	पुनावली कलां	141	0.890	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					142	0.963		
					143	0.057		
					144	0.077		
					147	0.514 में		
						से 0.072		
					153	1.514		
					161	0.397		
					162	0.121		
					163	0.340		
					164	0.113		
					165	0.453		
					167	0.170 में		
						से 0.050		
					170	0.987		
					177	0.239		
					178	0.648		
					236	7.102 में		
						से 6.495		
					237	0.134		
					238	0.089		
					239	1.254		
					240	0.174		
					307	0.405		
					312	1.522		
					313	1.238		
					315	2.379		
					317मि0	5.390 में		
						से 2.894		
					318	3.299		
					319	0.146		
					3052ए	127.904 में		
						से 108.561		
				योग. .		**211.853**		

16 जुलाई, 2024 ई0

सं0 671/12ए-एल0आर0ए0-5(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-341/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 08 जुलाई, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बछौनी	77	0.583	श्रेणी-6(2) पत्थर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					157	0.121		
					159	0.461		
					161	0.405		
					230	0.077		
					299	0.020		
					308	0.081		
					325	0.113		
					499	0.235		
					513	0.121		
					557	0.178		
					562	0.648		
					626	0.028		
					822	5.059		
					871	0.028		
					918	0.312		
					954	0.150		
					1067	1.586		
					1107	0.121		
					1121	0.474		
					777	0.032		
					458	0.364		
					486	0.198		
					1060	0.486		
					1139	0.045		
					46	0.004		
					54	0.024		
					578	0303		
					709	0.182		
					877	0.032		
					952	1.619		
				योग. .		**14.090**		

16 जुलाई, 2024 ई0

सं0 683/12ए-एल0आर0ए0-52(2023-24)–जिलाधिकारी, झाँसी के पत्रांक संख्या-358/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2023-24 दिनांक 15 जुलाई, 2024 में की गयी संस्तुति पर शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 के अधीन, मै बिमल कुमार दुबे, आई0ए0एस0, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि का, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बैदोरा	123	0.380	श्रेणी-6(4) पत्थर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					146	0.061		
					172	0.202		
					1160	0.324		
					1163	0.049		
					1204	0.134		
					1226	0.939		
					1282	0.016		
					1285	0.206		
					1319	0.053		
					1416	0.053		
					1421	0.016		
					1502	0.826		
					1650	0.089		
					1672	0.121		
					1674	0.036		
					1676	0.360		
					1686	0.150		
					1720	0.579		
					1867	0.049		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झांसी	झांसी	झांसी	बैदोरा	1951	0.097	श्रेणी-6(4) पत्थर	बुन्देल खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					1255मि0	0.170		
					1326मि0	0.049		
					1644मि0	0.793		
					1711मि0	0.024		
					1712/2मि0	0.320		
					1719मि0	0.607		
					1860मि0	0.061		
					18मि0	0.109		
					2005मि0	0.174		
					49मि0	0.093		
					59मि0	0.376		
					60मि0	0.061		
					83मि0	0.057		
					99मि0	0.117		
				योग. .		**7.751**		

बिमल कुमार दुबे,
आयुक्त,
झाँसी मण्डल, झाँसी।

पी0एस0यू0पी0—50 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 मार्च, 2025 ई० (फाल्गुन 24, 1946 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद

[उ0प्र0, आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0प्र0, अधिनियम संख्या-1, 1966)]
की धारा-28 के अधीन नोटिस

दिनांक : 13 फरवरी, 2025 ई0

सं0 : 1731/एल0ए0सी0/एच0क्यु0–उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (भूमि अर्जन अनुभाग) द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28 के अधीन नोटिस के माध्यम से गाजीपुर नगर की बढ़ती हुई आवासीय समस्या के निराकरण हेतु **''गाजीपुर मऊ राज्य मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजीपुर''** अधिसूचित की गयी है। योजना में समाविष्ट ग्रामों के क्षेत्र की सीमायें निम्न प्रकार हैं :–

उत्तर :– खसरा संख्या-71 भाग, 117, 87, 86, 99, 102 ग्राम-जमुनादेवा, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर। खसरा संख्या–1001, 1000, 999, 984, 49, 41, 55 ग्राम-अंधऊ, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर।

पूरब :– खसरा संख्या–128, 127, 126, 125, 122, 120, 117, 112, 109, 269, 268, 266, 263, 264, 296, 295, 298, 324, 323, 318 ग्राम-अंधऊ, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर।

दक्षिण :— खसरा संख्या–315, 309, 307/2525 भाग, 947, 1046, 1113, 1122 भाग ग्राम-अंधऊ, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर।

पश्चिम :— खसरा संख्या-70, 63 ग्राम-जमुनादेवा, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर। खसरा सख्ंया-1091 ग्राम-अंधऊ, परगना, तहसील व जिला-गाजीपुर।

योजना में समाविष्ट भूमि का विवरण व मानचित्र, कार्यालय आवास आयुक्त, (भूमि अर्जन अनुभाग), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-01, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलू पुर, वाराणसी में किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक देखे जा सकते हैं।

योजना क्षेत्र में स्थित निर्माणों के भू-स्वामियों पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के अनुसार बेटरमेन्ट शुल्क/विकास शुल्क भी अधिभारित होगा।

योजना के विपरीत आपत्तियों को इस नोटिस के प्रथम बार उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कार्यालय आवास आयुक्त (भूमि अर्जन अुनभाग), उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104,महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ अथवा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड वाराणसी-01, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जवाहर नगर, भेलू पुर, वाराणसी में प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति में योजना का सही नाम व योजना में समाविष्ट आपत्तिकर्ता की भूमि/भवन/ग्राम का नाम/खसरा नम्बर/भूमि का क्षेत्रफल एवं अन्य सभी विवरण स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

[Notice under section 28 of The Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhinniyam, 1965 (Uttar Pradesh Act No. 1, 1966)]

Date- 13 February, 2025

No-1731/L.A.C./H.Q–The Uttar Pradesh Awas EvamVikas Parishad has framed a scheme, called **"Ghazipur Mau Rajya Marg Bhumi Vikas Evam Grihahsthan Yojna, Ghazipur"** to solve the housing problem of the Ghazipur City. The boundaries of the comprised area in the scheme are as follows:

North:- Khasra Number-71 Part, 117, 87, 86, 99, 102 Village-Jamunadeva, Pargana, Tehsil & District-Ghazipur.Khasra Number-1001, 1000, 999, 984, 49, 41, 55 Village-Andhau, Pargana, Tehsil & District-Ghazipur.

East:-Khasra Number- 128, 127, 126, 125, 122, 120, 117, 112, 109, 269, 268, 266, 263, 264, 296, 295, 298, 324, 323, 318 Village-Andhau, Pargana, Tehsil & District-Ghazipur.

South:-Khasra Number –315, 309, 307/2525 Part, 947, 1046, 1113, 1122 Part Village-Andhau, Pargana, Tehsil & District-Ghazipur.

West:-Khasra No.- 70, 63 Village-Jamunadeva, Pargana, Tehsil & District- Ghazipur.Khasra Number - 1091 Village-Andhau, Pargana, Tehsil & District-Ghazipur.

The details of the Land, falling under the scheme and maps can be seen in the Office of the Housing Commissioner, (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas EvamVikas Parishad, 104 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or Office of the Executive Engineer, Construction Division-Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi on any working day between 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Land Owner will be liable to pay Betterment fee/Development charges of their situated structures in the scheme according to requisite provisions of Uttar Pradesh Awas EvamVikasParishad Adhiniyam-1965.

Objections against the scheme shall be received at the Office of the Housing Commissioner (Land Acquisition Section), Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow or at the Office of the Executive Engineer, Construction Division- Varanasi-01, Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad, Jawahar Nagar, Bhelupur, Varanasi within 30 days from the first publication in Uttar Pradesh, Gazette of this notice. After passing of the due date, no objections shall be entertained. In the objection to be submitted, the correct name of the scheme and the land/building/Villages Name/Khasra Number/ Area of the land and all other details of the objector included in the scheme should be clearly mentioned.

Dr. Balkar Singh
Housing Commissioner

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, मोदीनगर, गाजियाबाद

09 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 1149/न0पा0/क0वि0/2024–नगरपालिका परिषद, मोदीनगर (गाजियाबाद) द्वारा उत्तर प्रदेश, नगर पालिका, अधिनियम,1916 की धारा-293, 298(घ) (समार्जन), 300 के अन्तर्गत अपनी सीमा में स्थित घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुडे मामलों हेतु फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि बनायी गयी हैं, जिसे नगरपालिका परिषद, मोदीनगर की बोर्ड बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2024 को प्रस्ताव संख्या-11 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है, उपविधि की अधिसूचना के सम्बन्ध में नगर क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों/सामाजिक संस्थानों से आपत्ति/सुझाव 10 दिन के अन्दर प्राप्त करने हेतु अधिसूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 06 मार्च, 2024 को कराया गया था। निर्धारित अवधि 10 दिन व्यतीत होने के उपरान्त कोई भी आपत्ति, सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः निम्नलिखित "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि" की अधिसूचना गजट प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी–

फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, मोदीनगर द्वारा घर/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और जुड़े मामलों के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाई गयी है–

प्राधिकार– ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019

(ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग) सीपीएचईईओ मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013

(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट-2013

(च) आईएस कोड 2740 भाग I और II, 1985 (1996 रीअर्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता

(छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008**;** तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)– ये उपविधि नगरपालिका परिषद मोदीनगर की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हित धाराकों पर लागू होते है, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल है। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या नगरपालिका परिषद मोदीनगर भवनों पर लागू होगा।

अध्याय-I

प्रारंभिक–

1– **संक्षेप**– शीर्षक, विस्तार और आरंभ–

(i) इन उपविधियों को नगरपालिका परिषद मोदीनगर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2003 कहा जा सकता है।

(ii) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगरपालिका परिषद मोदीनगर क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होगी।

2– परिभाषा–

"**एक्सेस कवर"** का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रख-रखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढकक्कन या आवरण से बंद किया हो**;**

"**अपेलेट बॉडी"** निकाय, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य संबंधित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से संबंधित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है**;**

"**फीकल स्जल या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट"** उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एस0टी0पी0) में शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का भी उपचार किया जाता है**;**

"**को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी**" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो;

"**विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली**" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासें, आवासीय स्कूलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण, दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते है;

"**नियुक्त अधिकारी**" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो;

"**डिस्लजिंग**" का तात्पर्य हैं लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्जल वं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया;

"**निस्तारण**" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन;

"**एफ्लूयंट**" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव);

"**फीकल स्लज एवं सेप्टेज**" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री;

"**फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)**" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुसार ठोस और तरल घटको को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र;

"**ग्रे वाटर**" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है;

"**होस्ट यूएलबी**" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय "होस्ट'' बना रहेगा;

"**ईनसैनिटरी लेट्रिन्स**" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है तथा मल कीचड को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है;

"**लाइसेंस**" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है;

"**लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर**" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्जल एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो;

"**अधिसूचित स्थान**" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान;

"**आनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)**" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी व्यावसायिक /सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खण्ड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भू-खंण्ड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखण्ड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती है;

"**ऑपरेटर**" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है;

"**मालिक**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो;

"**व्यक्ति**" का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नही;

"**सैनिटरी लेट्रिन्स**" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओएसएस अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुडे शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशा निर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो;

"**सेप्टिक टैंक**" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आईएस कोड़-2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

"**शेडयूल्ड डीस्लजिंग**" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

"**सेप्टेज**" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

"**सीवेज**" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

"**सीवर**" वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

"**सीवेज पम्पिंग स्टेशन**" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

"**सीवेज उपचार संयंत्र**" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

"**निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी**" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमान कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

"**परिवहन या ढुलाई**" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफ0एस0एस0) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

"**उपचार**" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफएसवएस/मल/जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

"**उपचार सुविधा**" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

"**यूएलबी क्लस्टर**" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हे शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफएस के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एमओयू की आवश्यकता होगी।

"**निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक**" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंक से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"**निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)**" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खीचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"**अपशिष्ट जल (विस्ट वॉटर) ध्यूज्ड वॉटर**" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवांह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

"**कर्मी**" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए है और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए है और यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हे अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हे प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारण उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण–

3– **परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण**– निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल है तथा इसी तक सीमित नहीं है) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगें कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

i– यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करें।

ii– अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

iii– यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्वीन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड-2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती है। (देखें परिशिष्ट-1)।

iv– वे परिपत्तियाँ जिनका क्षेत्रफल 2000 वर्ग-मीटर^2 है या इससे अधिक है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ–

4– **मालिक या अभिग्राही के कर्त्तव्य और अनुपालन**– निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

i– उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिंस उपयोग को बंद कर देंगें और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भू-खण्ड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिंस का निर्माण, संचालन और उनका रख-रखाव करेंगें।

5– **ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव**–

i– ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना आईएस कोड-2470 भाग 1 और 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय-समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगरपालिका परिषद मोदीनगर या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

ii– ओएसएस से जुडी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदारी होंगे।

iii– परिसर का मालिक नगरपालिका परिषद मोदीनगर द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

iv– परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

v– परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

vi– नियमों के पालन के लिए नगरपालिका परिषद, मोदीनगर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगरपालिका परिषद, मोदीनगर समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से संबंधित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

vii– नगरपालिका परिषद मोदीनगर अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण–

6– निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

i– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

ii– नगरपालिका परिषद मोदीनगर आपने कर्मियों सहित ऑपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हे फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

iii– जब ऑपरेटर को लगे कि इस लाइसेंसिंग के मानदंडो के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढाया जाएगा ।

iv– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

v– इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– लाइसेंस जारी करने की शर्तें–

i– लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खण्ड 2(xxi) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

ii– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

iii– मोदीनगर में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा।

iv– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के साथ पंजीकृत करेगा।

v– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खण्ड 16 में दिए गए मानदंडो को पूरा करते है।

vi– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि नगरपालिका परिषद, मोदीनगर या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित है।

vii– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणें से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक है। जरूरी पीपीई इस उपविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8– **लाइसेंस के लिए आवेदन**– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9– **लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण**– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

10– **लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क**– नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– **पंजीकरण शुल्क और वैधता**–

i– ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,000/–

ii– पंजीकरण की वैधताः पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 5 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 5 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी आपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

iii– लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,000/–

11– **लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन**– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12– **जागरूकता अभियान**– इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगरपालिका परिषद मोदीनगर द्वारा लोगो को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डी-स्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)–

13– संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा–

i– भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

ii– मालिक/अधिभोगी डी-स्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

i– समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट, 2 देखें)।

ii– शहर में जब कभी नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा "शेडयूल्ड डी-स्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कल में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

iii– लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

iv– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

i– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

ii– आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

iii– डी-स्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा चिन्हित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

iv– ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगरपालिका परिषद, मोदीनगर वाहन पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

v– वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग से (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखा होगा।

vi– फीकल एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– ढुलाई के दौरान सावधानी– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डी-स्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18– दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण–

i– लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

ii– लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देंखें)।

iii– होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा कि उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करें।

21– निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार–

i– निकाय किसी पास के निकाय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जाएगा।

ii– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर होस्ट यूएलबी से जुडे यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

iii– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

iv– संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा किया जाएगा।

v– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिस "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

vi– एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि नगरपालिका परिषद, मोदीनगर को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य–

i– निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है) उस नगरपालिका परिषद, मोदीनगर होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

ii– निकांय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले $\frac{1}{4}$निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटो के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

iii– यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

iv– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रख-रखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

v– होस्ट यूएलबी संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

vi– यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड जाता है, तो नगरपालिका परिषद, मोदीनगर को एक नए "होस्ट यूएलबी'' की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लंज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकार्ड निकाय को दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड सकता है।

25– बीमा– लाइसेंसघारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कार्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजरर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण– इन उपविधि सहित हाथ में मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दंड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (CSC) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण–

27– उपचार, निस्तारण स्थल की पहचान–

i– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

ii– उपचार सुविधा के अभाव में (नगरपालिका परिषद, मोदीनगर) आस पास के होस्ट यूएलबी जिसमें सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमान करेगा (फॉर्म-2 परिशिष्ट-7)।

iii– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यूएलबी" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड 28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति–

i– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगरपालिका परिषद मोदीनगर द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यूएलबी)

ii– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यूएलबी" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग को हो सकता है) नियुक्त करेगा। (यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यूएलबी का हिस्सा हैं)

30– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय– निकाय (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यूएलबी) द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर निकाय (या होस्ट यूएलबी लागू हो) द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31– औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32– फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33– उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल– निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हे उपचार की सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन–

34– प्रशासन और प्रवर्तन–

i– इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अथवा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

ii– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

iii– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सैप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

iv– नगरपालिका परिषद, मोदीनगर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जेन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

35– जांच के लिए विशेष शक्ति– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रर्वतन के उद्देश्य से नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36– नियम का उल्लंघन और जुर्माना–

i– इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

ii– किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगें, यदि ऐसा व्यक्ति–

(क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है;

(ख) इस विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है;

(ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है?

iii– इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्थिति में एफ एस एस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकते है।

iv– जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दंड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगरपालिका परिषद, मोदीनगर द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।

v– संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37– अपील– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरूद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म-5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38– विवाद समाधान उपविधि– इन उपविधियों के कियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगरपालिका परिषद, मोदीनगर के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39– फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पडने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40– संदर्भ प्रलेख– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41– डी-स्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छा प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डी-स्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42– उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन– सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470(भाग-1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बडे क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए है। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए है। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन–

- आयताकार– लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात– 2 से 4
- गहराई– 1.0 से 2.5 मी0 के बीच
- दो कक्ष– पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष– पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन–छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार–

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई (मी0)	चौड़ाई (मी0)	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल) (मी0)
1	2	3	4
			दो वर्ष–
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बीआईएस-2470 (भाग-1), 1985 देखें।

नोट 2– फ्री-बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्त्रोत्र– सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल–भाग एः इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता– टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं है–

- **अवसादन (सेडीमेंटेशन)**– निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10ली/मिनट की पीक की दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, आवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- **फीकल स्लज डाइजेशन**– डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- **फीकल स्लज और मल भण्डारण**– फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता 0.0002*365=0.073m^3/कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- **फ्री बोड**– कम से कम 0.3 मी0

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14(i) और 5(iii) देखें)

नगरपालिका परिषद, मोदीनगर में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता

शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)–

क्रम सं0	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3,000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये
1	कच्चाघर / झोपडी	450
2	टिन शेड प्रकार का घर	850
3	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1700
4	दुकान	1800
5	सभी सरकारी / निजी कार्यालय	2200
6	बैंक	2500
7	सामुदायिक शौचालय / सार्वजनिक शौचालय	1200
8	रेस्टोरेंट	2500
9	होटल / गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरें)	2500
10	होटल / गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरें)	2800
11	होटल / गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरें)	3200
12	धर्मशाला (1 से 25 कमरें)	1600
13	धर्मशाला (25 से अधिक कमरें)	2200
14	3–स्टार होटल	3000
15	5–स्टार होटल	4000
16	सरकारी स्कूल / कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1200
17	सरकारी स्कूल / कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	1500
18	निजी स्कूल / कॉलेज (1,000 छात्र तक)	2000
19	निजी स्कूल / कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	3000
20	2–व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2000
21	2–व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3000
22	4–व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	3000
23	4–व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	4000
24	मल्टीप्लेक्स	2500
25	छात्रावास (01 से 10 कमरें)	2200
26	छात्रावास (11 से 20 कमरें)	2500
27	छात्रावास (21 से 50 कमरें)	2800
28	छात्रावास (50 से अधिक कमरें)	3200

1	2	3
		रुपये
29	विवाह हॉल/बैंकेट हॉल	3500
30	बार	3000
31	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	2500
32	सरकारी अस्पताल (20 बेड से अधिक)	3000
33	निर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	2000
34	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2500
35	पैथालॉजिकल लैब	2000
36	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2000
37	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	3000
38	निजी अस्पताल (50 से अधिक बिस्तर)	4000
39	राइस मिल/अन्य मिल	2500
40	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	4000
41	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2500

स्त्रोत– सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट 1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर-फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3,000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी पर आधारित है। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरें (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपडे, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरें) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खण्ड 7(vii) देंखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण–

कार्य स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए–

i– शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते है, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रसायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं

ii– शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट

iii– सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है

iv– सेफ्टी टॉर्च

v– भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते है और ब्यूटाइल के बने होते है

vi– संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स

vii– टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है

viii– दुबारा इस्तेमाल होने वालों इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुडा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते है जहां औसत ध्वनि स्तर-85dBa से अधिक होता है।

ix– आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट

x– गैस मॉनीटर

xi– हेड लैंप

xii– गाइड पाइप सेट

xiii– सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

xiv– वेडर बूट

xv– एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

xvi– मॉडयूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

xvii– रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6(iii) और 8 देखें)

नगरपालिका परिषद, मोदीनगर

Registration form for Private Desludging Operator

फॉर्म 1– निकाय (नगरपालिका परिषद, मोदीनगर) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

फीकल स्लज एवं सेप्टैज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो

1 आवेदक का नाम (श्री/सुश्री)–_____

2 पता–_____

3 पंजीकृत कार्यालय का पता–_____

4 टेलीफोन नंबर (कार्यालय) _____ (मो0) _____

6–

सं0नं0	वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर-माउंटेड या ट्रक माउंटेज)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/टैंकर की क्षमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
i-						
ii-						

7– लाइसेंस की प्रॉसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण, नकद _____ (रसीद संख्या)

8– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)–

दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं	दस्तावेज के प्रकार	हां/नहीं
पहचान प्रमाण		पता-प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग-लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते है कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढा और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक– **आवेदक के हस्ताक्षर**

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज को कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8– वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 08:00 am से 03:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑरपेटरों को तदानुसार अपने डिस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

(खण्ड 6(v) और 8 देखें)

लाइसेंस प्रारूप

नगरपालिका परिषद, मोदीनगर

फॉर्म 2– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना निकाय (नगरपालिका परिषद, मोदीनगर) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस–

फीकल स्लज एवं सेप्टैज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है–

1– आवेदक का नाम (श्री/सुश्री)–_____

2– पत्राचार का पता–_____

_____

_____

3– निकाय (नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्या– _____

4– मान्यता _____ से _____ तक

5– वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबर– (i)_____ (ii) _____

(iii)_____ (iv) _____

लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जाएगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जाएगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज को कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए ।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एंव सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

8– वाहन टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिन्दी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में 07 दिनों पर 08:00 am से 03:00 pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑरपेटरों को तदानुसार अपने डिस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिए।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खण्ड 13(ii), 20(ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकार्ड–

(नगरपालिका परिषद मोदीनगर) में मल कीचड और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए–

दिनांक–_____ समय–_____

I– ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण–

1– नाम–_____

2– पता–_____

_____

_____

(क)– वार्ड संख्या–_____ (क)– टेलीफोन नं0–_____

II– रोकथाम–

1– निर्माण का वर्ष–_____

2– पिछला कीचड़ निकालना (**MM/YYYY**)–_____

3– आउटलेट मौजूद (हां/नहीं)–_____

4– यदि हां, तो किससे जुड़ा है–_____

5– रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुनें)–

	रोकथाम के प्रकार	सही करें	रोकथाम के प्रकार	सही करें
क	सेप्टिक टैंक ट्वीन		ट्वीन पिट (पंक्तिबध,	
ख	संग्रह टैंक		ट्वीन पिट (आनलाइन्ड,	
ग	सोख्ता गड्ढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
घ	सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (अनलाइन)	

6– रोकथाम का आकार और आकारः नियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करें–

7– संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

	घर में स्थान	सही करें	घर में स्थान	सही करें
क	घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
ख	घर के सामने की तरफ		अन्य	

III– कीचड़ साफ करना–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर)–_____

2– कीचड़ निकालने में लगने वाला समय–_____

3– ट्रिप की लंबाई (किमी)–_____

4– आने-जाने में समय–_____

IV– कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण–

ऑपरेटर का नाम–_____

ड्यूटी पर खाली स्टाफ **FSSTP** ऑपरेटर–_____

ड्यूटी पर टेंक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खण्ड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप–

फॉर्म 4– "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (होस्ट निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (होस्ट निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष "एक्सवायजेड यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध–

1– यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा। वर्ष (अंतिम तिथि)

2– "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 xxx देने के लिए सहमत है।

4– यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6– कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम — द्वितीय पक्ष

अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर — अधिशासी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन–

क्रम सं0	**विवरण**	**खण्ड संख्या**	**संकेतिक फाइन सीमा**	**जुर्माना (किसी अन्य पीनल एक्शन में)**
1	2	3	4	5
			रुपये	रुपये
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा /असुरक्षित प्रवाह	3	100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	200	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	100 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	300	

1	2	3	4	5
			रुपये	रुपये
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	150 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	200	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	100 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर-अनुपालन	16,17	1500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16,17	3000	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16,17	1500 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27,28,33	10000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27,28,33	20000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27,28,33	1000 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6,7,14, 27,28,29	10000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6,7,14, 27,28,29	20000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6,7,14, 27,28,29	1500 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

नोट– जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिए। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय-समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खण्ड 37 देखें)

फार्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फर्म, "अपील प्राधिकार के पास _____(पदनाम)

1– आवेदक का पूरा नाम–_____

2– आवेदक का पता–_____

3– नगरपालिका अधिकारी का विवरण जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई

नाम–_____ पद–_____

4– उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरुद्ध अपील की गई– _____

5– अपील दायर करने की तारीख–_____

6– सूचना विवरण–

(क) संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करें)

_____

(ख) अपील का आधार (इनमें से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है)

_____

सत्यापन

मैं, _____ (अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी_____

एतदद्वारा घोषित करता, करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान–_____ तिथि–_____

अनुलग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख–

1– _____

2– _____

_____ यहाँ फाडें_____

पावती–

संख्या–_____ तिथि– _____

अनुलग्नक फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन–_____

स्थान–_____ तिथि– _____

अधिकृत्त अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर
आदेश से (नगरपालिका परिषद का नाम)
(अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)
(नगरपालिका परिषद का नाम)

परिशिष्ट-10

(खण्ड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज–(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है–

1– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916।

2– उत्तर प्रदेश सेप्टेज नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3– बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4– सलाहकार नोट– शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5– उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6– एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगरपालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।

7– आईएस-2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,

(क) (भाग-I) डिजाइन शर्तें और निर्माण।

(ख) (भाग-II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8– सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9– बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।

10– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।

13– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14– तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15– सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16– सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

17– फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली।

18– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।

नरेन्द्र मोहन मिश्र,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद,
मोदीनगर, गाजियाबाद।

कार्यालय, नगर पंचायत, दढ़ियाल, रामपुर

30 नवम्बर, 2024 ई0

नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपविधि, 2024

सं0 243/नि0/न0पं0दढ़ि0/2024-25–नगर पंचायत दढ़ियाल, जिला रामपुर द्वारा इस उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत दढ़ियाल, में भवनों के निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु तैयार किया गया है। उक्त उपविधि का अनन्तिम प्रकाशन समाचार पत्रों में कार्यालय के पत्र सं0-215/नि0/न0पं0दढ़ि0/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 द्वारा 30 अक्टूबर, 2024 को किया गया था, जिसके क्रम में कार्यालय में जो आपत्तियां प्राप्त हुई, उनका अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त ''नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपवविधि, 2024'' का अन्तिम प्रकाशन किया जा रहा है। उक्त उपविधि उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। स्वीकृत उपविधि का विवरण निम्नलिखित है –

(अ) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

1–यह उपविधि नगर पंचायत दढ़ियाल, जनपद–रामपुर की "नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपविधि–2024" कहलायेगी।

2–यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी एवं किसी भी प्रकार का संशोधित स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस/सूचना देकर प्रकाशित किया जायेगा।

(ब) लागू होना–

1–यह उपविधि उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत दढ़ियाल, जनपद–रामपुर (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी), में लागू होगी एवं नगर पंचायत दढ़ियाल, जनपद–रामपुर की सीमा में प्रत्येक स्वामित्व वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर लागू होगी।

(स) परिभाषा–

जब तक इस विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषायें निम्नवत है–

1–''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

2–''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत दढ़ियाल, जनपद–रामपुर से है।

3–''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत दढ़ियाल, के अधिशासी अधिकारी से है।

4–''प्रशासक/अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत दढ़ियाल, के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

5–''भूमि/भवन'' से तात्पर्य नगर पंचायत दढ़ियाल, की सीमा में भूमि/भवन से है।

6–''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगर पंचायत दढ़ियाल, जनपद–रामपुर के बोर्ड/समिति से है।

नगरीय भवन निर्माण एवं मानचित्र स्वीकृति उपविधि–2024

यह कि नगर पंचायत दढ़ियाल, जनपद–रामपुर की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत दढ़ियाल, से भवन के मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त ही किसी भवन में निर्माण/मरम्मत/संशोधन/विलोपन कर सकेगा।

1–नगर पंचायत दढ़ियाल, से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी–

अ–आवेदक को स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि रु0 100.00 के कोर्ट शुल्क स्टाम्प पेपर पर होगा।

ब–इस आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को स्वीकृति हेतु दो मानचित्र मय सीमा के प्रस्तुत करने होंगे। इन मानचित्रों का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है और भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

स–आवेदक मानचित्र के साथ एक प्रमाण-पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहां वह निर्माण कार्य करना चाहता है उसकी अपनी है एवं उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। मानचित्र में भू-खण्ड की चौहद्दी के साथ-साथ भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों के नाम दर्शाने अनिवार्य होंगे।

द–आवेदक आवेदन-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुए यह स्पष्ट करेगा कि वह खाली भूमि पर भवन का नव निर्माण या वर्तमान भवन में मरम्मत या फेर बदल या ऊपरी भाग का पूर्ण नव निर्माण करना चाहता है।

य–आवेदक जिस ड्राफ्ट मैन से मानचित्र बनवायेगा उसी से उस भवन की अनुमानित लागत का स्टीमेट लेकर भी प्रस्तुत करेगा।

र–दो मानचित्र ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और एक तीसरा मानचित्र ट्रेसिंग पेपर पर होगा।

ल–आवेदक आवेदन-पत्र के साथ लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

व–आवेदक आवेदन-पत्र के साथ आवश्यकतानुसार अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

2–भवन निर्माण की शर्तें–

क–इस प्रकार का कोई जंगला या खिड़की नहीं लगायी जायेगी, जिससे कि पड़ोस में रहने वाले को परेशानी हो।

ख–भवन में फ्लश शौचालय बनवाना अनिवार्य होगा बिना फ्लश शौचालय के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

ग–भवन की नालियां सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की बनायी जाऐंगी तथा सार्वजनिक नालियों से इनका जुड़ा होना आवश्यक होगा तथा बारिश के पानी को छतों से उतारने हेतु पाईप लगाने होंगे।

घ–सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक नाली पर किसी भी प्रकार प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

ड़–भू-तल पर सड़क की ओर रहने वाले दरवाजे (किवाड़) भीतर की ओर खुलेंगे।

च–300 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर भवन निर्माण के साथ जल संचयन हेतु रूफ टॉप रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य होगा।

स्वीकृति की विधि–

3–जब आवेदक मय नक्शों के प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, तब सर्व प्रथम उसका इन्द्राज रजिस्टर में किया जायेगा। जिसमें कर समाहर्ता इस प्रकार की रिपोर्ट देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे रिकार्ड में इन्द्राज है अथवा नहीं तथा उस पर नगर पंचायत दढ़ियाल, का कोई किसी प्रकार का टैक्स आदि अवशेष नही है।

4–कार्यालय की रिपोर्ट के पश्चात् यह आवेदन-पत्र मय नक्शे अवर अभियन्ता को जांच हेतु भेज दिया जायेगा जो कि मौके पर स्वयं जाकर अथवा अपने द्वारा नामित तकनीकी कर्मचारी को मौके पर भेजकर भूमि तथा प्लॉट का मिलान करेंगे और सही पाये जाने पर अपनी रिपोर्ट इस प्रकार देंगे कि मानचित्र के मुताबिक नियमानुसार/अद्यतन शासनादेशानुसार निर्माण उचित है। स्वास्थ्य के दृष्टि से गन्दे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है और इस निर्माण की आज्ञा देने में नगर पंचायत दढ़ियाल, की सम्पत्ति/शासकीय सम्पत्ति की किसी प्रकार की हानि नहीं है। भवन निर्माण पर कोई शिकायत प्राप्त होने एवं सम्पत्ति विवादित होने की स्थिति में उसकी स्थलीय व अभिलेखीय जाँच सम्बन्धित तहसील से कराये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5–इसके पश्चात् आवेदक को यह अवगत कराया जायेगा कि वह नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति शुल्क जमा करवा दें। मानचित्र स्वीकृति शुल्क जमा हो जाने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के बाद एवं अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद एक स्वीकृति-पत्र अधिशासी अधिकारी के माध्यम से आवेदक को दिया जायेगा। इस स्वीकृति के पश्चात् ही आवेदक निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है। आवेदक निर्माण कार्य आरम्भ करने से 24 घण्टे पूर्व नगर पंचायत, कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

6–यह स्वीकृति केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी। यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नही होता है तो आवेदक कारण स्पष्ट करते हुए पुनः नगर पंचायत में अवधि बढ़वाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्ततु करेगा तथा प्रार्थना-पत्र के साथ स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व शुल्क जमा किया है उसका ½ हिस्सा पुनः शुल्क के रुप में जमा करेगा। यह अवधि छः माह से अधिक नही बढ़ाई जायेगी। इस 6 माह की अवधि बढ़ाने के लिए अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा, यदि विशेष परिस्थितियों में आवेदक इसके पश्चात् भी समय बढ़वाना चाहता है तो यह प्रार्थना-पत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

7–जैसे ही भवन का निर्माण कार्य समाप्त होगा, वैसे ही आवेदक नगर पंचायत दढ़ियाल, को अवगत करायेगा तथा नगर पंचायत, से कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्राप्त करेगा। इसके बाद ही वह भवन रहने योग्य माना जायेगा।

8–भवन निर्माण प्रक्रिया में आवेदक द्वारा मा0 एन0जी0टी0 व सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम–2016 के प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9–भवन निर्माण के लिए स्वीकृति दरें–

क्र0 सं0	भवन	क्षेत्रफल	भू–तल शुल्क प्रति वर्ग फुट	अतिरिक्त तल शुल्क प्रति वर्ग फुट	भूमिगत तल शुल्क प्रति वर्ग फुट
1	2	3	4	5	6
			रु0	रु0	रु0
1	व्यावसायिक भवन	40 वर्गमीटर तक	15.00	10.00	30.00
2	व्यावसायिक भवन	40 वर्गमीटर के ऊपर	20.00	12.00	50.00
3	गोदाम	40 वर्गमीटर तक	15.00	10.00	30.00

1	2	3	4	5	6
			रु0	रु0	रु0
4	गोदाम	40 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल	20.00	12.00	50.00
5	होटल का विश्राम गृह, बारात घर, वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना	40 वर्गमीटर तक	25.00	15.00	60.00
6	होटल का विश्राम गृह वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना	40 वर्गमीटर के ऊपर	30.00	20.00	80.00
7	आवासीय भवन	200 वर्गमीटर तक	4.00	03.00	20.00
8	आवासीय भवन	200 वर्गमीटर के ऊपर 500 वर्गमीटर तक	5.00	04.00	25.00
9	आवासीय भवन	500 वर्गमीटर के ऊपर	6.00	05.00	30.00
10	भू-खण्ड/प्लॉटिंग एरिया	–	4.00	–	–

10–धार्मिक स्थल मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, एवं इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति नियमानुसार एवं शासन की अनुमति के पश्चात् ही दी जायेगी, जो निःशुल्क होगी।

11–खाली प्लाट की यदि बाउण्ड्री बनानी है तो उसके लिए मात्र रु0 1,000.00 शुल्क देय होगा।

12–मानचित्र स्वीकृति का न्यूनतम शुल्क रु0 2,000.00 या उपर्युक्त दरों के आधार पर जो अधिकतम होगा देय होगा।

13–प्लॉटिंग एरिया के आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल पर ही शुल्क देय होगा।

14–आवेदक यदि मानचित्र स्वीकृति हो जाने के पश्चात् कोई परिवर्तन करना चाहता है तो पुनः दूसरा मानचित्र तथा पहला स्वीकृत मानचित्र जिस पर स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित शुल्क का ½ भाग जमा करेगा।

15–स्वीकृति देने के बाद यदि बोर्ड जनहित में उक्त स्वीकृति को रद्द करना उचित समझता है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुए भू-स्वामी को नोटिस देकर स्वीकृति को रद्द कर सकता है, जिसकी अपील 30 दिन की मियाद के अन्दर जिलाधिकारी, रामपुर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत दढ़ियाल, जनपद–रामपुर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि के किसी अनुच्छेद के उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो रु0 2,000.00/(दो हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो रु0 100.00 (एक सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है।

नोट–यह उपविधि उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

विवेक कुमार गौड़,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, दढ़ियाल,
जनपद-रामपुर।

NOTICE OF WITHDRAWAL
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
ORIGINAL JURISDICTION
ELECTION PETITION NO. 01 OF 2021
(U/s 109(2) of the R.P. Act 1951)

Er. Hari Kishore Tiwari …….....…… Petitioner.

versus

Dr. Manvendra Pratap Singh "Guruji" ..... Respondent.

Election Petition against the election of Dr. Manvendra Pratap Singh "Guruji" to the Uttar Pradesh Legislative Council, 2020 from Graduate Constituency, Agra Khand.

Whereas an Election Petition was presented to this court by the above named petitioner in which he has made the withdrawal application and that the said application is fixed for hearing on 04th day of April, 2025.

Any one or other person desirous of supporting or opposing the order/decision on the said withdrawal application, should appear before the court in person or by his advocate on or before the date fixed for the hearing of the withdrawal application.

Take notice that in default of entering appearance by anyone on within said time, the withdrawal application will be heard and determined.

Given under my hand and the seal of the Court this 11th day of March, 2025.

(*Sd.*) Illegible
Deputy Registrar
High Court, Allahabad

Shri Santosh Kumar Singh "Paliwal"
Counsel for the Election Petitioner.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अमूल्य कुमार पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है मैने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अमूल्य कुमार पाण्डेय से बदलकर अरूणोदय पाण्डेय रख लिया है भविष्य में मेरे पुत्र को अरूणोदय पाण्डेय पुत्र सुशील कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

सुशील कुमार पाण्डेय
पुत्र रतीश कुमार पाण्डेय
75, कौलापुर, गोपीगंज,
संत रविदास नगर, उ0प्र0–221303

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उत्कर्ष पाल पुत्र रामचन्द्र पाल है जो मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेख, आधार, पैन कार्ड आदि अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0 आई0 सी0 पालिसी सं0 233230267 में मेरा नाम मास्टर प्रथम पाल अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे उत्कर्ष पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

उत्कर्ष पाल
पुत्र श्री राम चन्द्र पाल
निवासी 127/219, एस–ब्लाक
करपात्री नगर, जूही,
बारादेवी, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आर0 के0 शर्मा, पता 176 लक्ष्मण गंज, झांसी में पहले तीन पार्टनर थे एक पार्टनर श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 जयराम शर्मा के निधन होने के बाद फर्म का संचालन दोनों पार्टनरों सौरभ शर्मा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार शर्मा एवं गौरव शर्मा पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

फर्म मेसर्स आर0 के0 शर्मा,
सौरभ शर्मा, गौरव शर्मा,
पुत्रगण स्व0 राजेन्द्र कुमार शर्मा

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नैना भारती है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड संख्या 2268 8351 3789 में उसका नाम गीतांजलि अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम नैना भारती पुत्री उमेश कुमार भारती के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

उमेश कुमार भारती
पता–पारा, पांडेय गेस्ट हाउस,
पारा रोड, लखनऊ, उ0प्र0–226017

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूलवश मेरे हाईस्कूल वर्ष 2021, अनु0 23117302 एवं इण्टरमीडिएट वर्ष 2023, अनु0 23617827 के मूल प्रमाण पत्र में मेरी माता का नाम Shweta Rai एवं पिता का नाम Sunil Kr. Rai अंकित हो गया है जोकि गलत है। जब कि माता का सही व वास्तविक नाम आधार कार्ड के अनुसार Sweta Pandey एवं पिता का Sunil Kumar Rai है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पूर्णिमा राय
ग्राम + पोस्ट–कठौड़ा
तहसील–सिकन्दरपुर
जिला बलिया (उ0प्र0)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनुज पुत्र रामलाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 6077 9616 0050 में उसका नाम विनोद अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अनुज पुत्र रामलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामलाल पुत्र बल्का
ग्राम–मोगान, पो0–कैलगुवा
तहसील–महरौनी, ब्लाक–बार
जिला–ललितपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निखिल मिश्रा पुत्र प्रमोद कुमार मिश्रा है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3820 6680 2341 में मेरा नाम अभिनव मिश्रा अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम निखिल मिश्रा पुत्र प्रमोद कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निखिल मिश्रा
पता–कनिगडा, पो0 शुकुलपुर
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरी माता का सही नाम Manju Kushwaha है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में अंकित है किन्तु त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23184318 सन् 2022 में मेरी माता का नाम Chanda Devi Kushwaha अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मोहित कुशवाहा
पुत्र श्री मदन कुशवाहा
निवासी बड़ा गांव
गेट बाहर सनराइज
पब्लिक स्कूल के सामने,
झांसी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम Akriti Pandey पुत्री रविकर पाण्डेय है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9261 7993 8340 में उसका नाम Aakriti Pandey अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम Akriti Pandey पुत्री रविकर पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रविकर पाण्डेय
264/1 स्टैनली रोड
कमलानगर, सदर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम बुद्धप्रिया पुत्री राम सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 5091 9862 1289 में उसका नाम प्रज्ञा पारमिता मौर्या अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम बुद्धप्रिया पुत्री राम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम सिंह
पता–ग्राम व पोस्ट मड़िहान
जिला–मीरजापुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हिमांशु बिन्द पुत्र रविन्द्र कुमार बिन्द है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3065 3411 2745 में उसका नाम कुंवर अक्षत बिन्द अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हिमांशु बिन्द पुत्र रविन्द्र कुमार बिन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रविन्द्र कुमार बिन्द
कुरौना औराई, भदोही।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुरसती देवी पत्नी तुलसीराम है जो मेरे राशन कार्ड तथा उपजिलाधिकारी की जांच आख्या अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4442 2343 1429 में मेरा नाम सुशीला देवी पत्नी तुलसीराम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम सुरसती देवी पत्नी तुलसीराम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरसती देवी पत्नी तुलसीराम
निवासी ग्राम सराय युसुफ, पो0 बरेठी,
तहसील हण्डिया, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या तिवारी (Aradhya Tiwari) पुत्री विवेक कुमार तिवारी है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 2398 6914 6433 में उसका नाम आशवी तिवारी अंकित हो गया है जो उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या तिवारी (Aradhya Tiwari) पुत्री विवेक कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विवेक कुमार तिवारी
पुत्र राजेन्द्र प्रसाद तिवारी
पता–खालिसपुर डींगुर बभनगवां,
सुल्तानपुर, उ0प्र0–228131

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम छवि पुत्री मनोज कुमार गुप्ता है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 6135 9616 5448 में उसका नाम छवि ओमर अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम छवि पुत्री मनोज कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनोज कुमार गुप्ता
ग्राम गहलो, कानपुर देहात।

सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनन्या पाण्डेय है, जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड संख्या 6092 3442 1445 में उसका नाम प्रिंसेस पाण्डेय लिखा है जो कि गलत है। भविष्य में उसे अनन्या पाण्डेय पुत्री जी0 पी0 पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जी0 पी0 पाण्डेय
निवासी चाका नई बस्ती,
नैनी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम मनोज कुमार मिश्रा है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के अंक प्रमाण पत्र, अनुक्रमांक 5089373 एवं इन्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र, अनुक्रमांक 5690932 में मेरे पिता का नाम जी0 ए0 रजा अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुम्बुल रजा
पुत्री श्री मनोज कुमार मिश्रा
पता–2/577, रश्मि खण्ड
शारदा नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुब्रत साहिल गुप्ता पुत्र संजीव मोहन गुप्ता है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे LIC के पॉलिसी सं0 312039989 में मेरा नाम जय गुप्ता अंकित

हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

सुब्रत साहिल गुप्ता
पुत्र संजीव मोहन गुप्ता
66/19/6 बी0 के0 बनर्जी मार्ग बेली रोड,
प्रयागराज, उ0प्र0–211002

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम Sidharth Patel (सिद्धार्थ पटेल) पुत्र इन्द्रजीत सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 4823 7762 8698 में उसका नाम Siddharth Patel (सिद्धार्थ पटेल) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम Sidharth Patel (सिद्धार्थ पटेल) पुत्र इन्द्रजीत सिंह नाम से जाना व पहचाना जाये।

इन्द्रजीत सिंह
ग्राम–सेनीपुर, पोस्ट–सनगांव
जिला–फतेहपुर, पिन कोड–212601

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम यश कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश कुरील है जो मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0आइ0सी0 पॉलिसी संख्या 234203808 में मेरा नाम प्रिंस कुमार अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे यश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

यश कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश कुरील
निवासी–ग्राम अटवा कृष्णा नगर मण्डी
समिति पुखरायां, कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ऐश्वर्य गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता निवासी मकान नं0 68/117, लोकमन मोहाल, कानपुर नगर-208001 है, जो मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेख, आधार, पैन व बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल0आई0सी0 पालिसी सं0 233066062 में मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता अंकित हो गया है जो मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ऐश्वर्य गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ऐश्वर्य गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता
निवासी मकान नं0 68/117,
लोकमन मोहाल
कानपुर नगर–208001

सूचना

फर्म मेसर्स सिंघल सर्विस स्टेशन पता–दिल्ली, सहारनपुर रोड, थाना भवन, जिला शामली, उ0प्र0–247777 जिसका पंजीकरण संख्या 1931 एस दिनांक 14.03.2018 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है। उक्त फर्म में धनप्रकाश पुत्र भरत सिंह निवासी थानाभवन व श्रीमती राजबाला पत्नी स्व0 जयप्रकाश निवासी, थानाभवन, पोस्ट थानाभवन, जनपद शामली, उ0प्र0 पार्टनर थे। जिसमें एक पार्टनर श्रीमती राजबाला पत्नी स्व0 जयप्रकाश की दिनांक 09.02.2024 को मृत्यु हो गयी है और अब उनके स्थान पर वर्तमान में उनके वारिस श्री पवन कुमार व अजय कुमार पुत्रगण स्व0 जयप्रकाश निवासी थानाभवन फर्म में सम्मिलित हुये है। अब फर्म में धनप्रकाश व पवन कुमार व अजय कुमार साझेदार है, फर्म में कोई विवाद नहीं है तथा उक्त फर्म पर कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है।

धनप्रकाश
पार्टनर
फर्म मेसर्स सिंघल सर्विस स्टेशन
पता–दिल्ली, सहारनपुर रोड, थानाभवन,
जिला शामली, उ0प्र0–247777

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है फर्म मेसर्स बाबा सेफ्टी ग्लास, 135 अपो0 इण्डियन गैस एजेन्सी, सींगना बुर्ज पो0 कीठम तह0 किरावली, जिला आगरा में स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री शहादत, मोहम्मद अयाज, श्री मसीनुद्दीन, श्री अब्दुल रहमान, श्री दिगपाल सिंह हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01.04.2024 को संचालन की थी। दिनांक 01.06.2024 से श्री राजी हैदर, श्रीमती शताज बेगम फर्म में साझेदार हो गये है एवं दिनांक 01.06.2024 से श्री शहादत फर्म से पृथक हो गये है। दिनांक 15.12.2024 से श्रीमती कशिश रोहरा, श्रीमती प्रीति रोहरा फर्म में साझेदार हो गई है एवं दिनाक 15.12.2024 से मोहम्मद अयाज, श्री मसीनुद्दीन, श्री अब्दुल रहमान, श्री राजी हैदर, श्रीमती शताज बेगम फर्म से पृथक हो गये है। अब फर्म को श्री दिगपाल सिंह, श्रीमती कशिश रोहरा, श्रीमती प्रीति रोहरा हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

दिगपाल सिंह
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है फर्म ''बालाजी एंटरप्राइजेज'' (फर्म पंजीकरण संख्या–192532) जिसका पंजीकृत पता 3/271 विश्वास खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010 था वर्तमान में फर्म का पता बदल कर सीपी–11 विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 कर दिया गया है। फर्म का संचालन फर्म के पार्टनर श्री नवनीत कुमार पाण्डेय, श्री विनय कुमार पाण्डेय और श्री निर्मल कुमार पाण्डेय जी द्वारा किया जा रहा था, जिसमें से श्री निर्मल कुमार पाण्डेय जी दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये है। अतः अब फर्म में श्री निर्मल कुमार पाण्डेय जी का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व और हस्तक्षेप नहीं है। वर्तमान में फर्म का संचालन फर्म के पार्टनर श्री नवनीत कुमार पाण्डेय और श्री विनय कुमार पाण्डेय जी के द्वारा किया जा रहा है।

विनय कुमार पाण्डेय

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स भोकरहेड़ी किसान सेवा केन्द्र पता–ग्राम व पोस्ट-भोकरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर–251316 जिसकी पंजीकरण सं0-1480 (S) दिनांक 25.02.2024, उक्त फर्म में प्रदीप कुमार पुत्र श्री धीर सिंह, निवासी म0नं0 137 नेहरू चौक, ग्राम व पोस्ट-भोकरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर–251316 व ओमपाल सिंह पुत्र श्री मूला सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट-भोकरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर–251316 पार्टनर थे, जिसमें एक पार्टनर श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री मूला सिंह की दिनांक 06 सितम्बर, 2024 को मृत्यु हो गयी है और श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 ओमपाल सिंह निवासी म0नं0 137 नेहरू चौक, ग्राम व पोस्ट-भोकरहेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर–251316 फर्म में सम्मिलित हुयी है। अब फर्म में प्रदीप कुमार व श्रीमती कमला देवी साझीदार है, फर्म में कोई विवाद नहीं है।

प्रदीप कुमार
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थी की फर्म मेसर्स कन्हैया कोल्ड स्टोर एण्ड आईस फैक्ट्री पता मकान नं0 15 वार्ड 10, निकट दीपक टॉकीज, मेन रोड, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश–202520, जिसकी पंजीकरण सं0–BUD/0009528 है। यह उपरोक्त फर्म दिनांक 01.04.2021 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से एक साझेदार अनिल पाठक पुत्र श्री शिवशंकर पाठक की मृत्यु दिनांक 24.12.2024 को हो चुकी है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल तीन साझेदार है क्रमशः 1–श्रीमती उषा पाठक पत्नी श्री अनिल कुमार पाठक, 2–आदित्य पाठक पुत्र श्री अनिल कुमार पाठक, 3–श्रीमती नीरू पाठक पत्नी श्री विशाल पाठक साझेदार हैं।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आदित्य पाठक
साझेदार
मेसर्स कन्हैया कोल्ड स्टोर एण्ड आईस फैक्ट्री
पता–मकान नं0 15 वार्ड 10,
निकट दीपक टॉकीज, मेन रोड, बिसौली, बदायूं,
उत्तर प्रदेश–202520

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री सांवरिया सेठ कोल्ड स्टोरेज, खसरा नं0–530, ग्राम मदैना, तह0 फतेहाबाद, जिला आगरा में स्थित है।

उपरोक्त फर्म में श्री राकेश उपाध्याय, श्रीमती संध्या उपाध्याय निवासीगण एम0आई0जी0 फ्रैण्ड्स कॉलोनी, न्यू शाहगंज, आगरा हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 04.05.2015 को संचालन की थी। दिनांक 01.02.2025 से श्री रामनिवास शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द शर्मा, निवासी 57, मदैना, तह0 फतेहाबाद, जिला आगरा फर्म में साझेदार हो गये है। अब फर्म को श्री राकेश उपाध्याय, श्रीमती संध्या उपाध्याय, श्री रामनिवास शर्मा हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

राकेश उपाध्याय,
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हम साझेदारगणों ने अपनी पंजीकृत फर्म मेसर्स कलेनर्स सर्विसेज–ए–73 सेक्टर–2, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 का विघटन दिनांक 26.12.2024 को स्वेच्छापूर्वक सर्वसहमति से फर्म के समस्त लेखों का निस्तारण करने के उपरान्त कर दिया है तथा अवशेष पूंजी हम साझेदारगणों ने अपने अपने हिस्से के अनुपात में प्राप्त कर ली है। अब फर्म से सम्बन्धित किसी विभाग, प्रतिष्ठान, संस्थान तथा व्यक्ति का किसी भी प्रकार लेन–देन तथा दायित्व शेष नहीं है। दिनांक 26.12.2024 के पश्चात् हम साझेदारगण उक्त फर्म के नाम से किसी भी प्रकार का व्यावसायिक तथा व्यापारिक कार्य नहीं करेंगे।

अभिषेक सिंह

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है फर्म मेसर्स चेतक इन्टरप्राइजेज, ए0एच0–21 नियर गंग इन्डस्ट्रीज, इन्डस्ट्रीयल एरिया, सण्डीला, जिला हरदोई, उ0प्र0 241204 रजि0 नं0–LUC/0020228 का पंजीकरण दिनांक 10 जनवरी, 2025 को कराया गया था जिसमें कुलदीप वर्मा प्रथम, आकाश वर्मा द्वितीय, सुनील कुमार भारती तृतीय एवं सीमा शर्मा चतुर्थ साझीदार थे। उक्त फर्म के तृतीय साझेदार सुनील कुमार भारती एवं चतुर्थ साझेदार सीमा शर्मा स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं तथा भविष्य में इस फर्म से इनका कोई लेना–देना नहीं होगा उनके स्थान पर श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री छत्तर सिंह शिवपुरी, धनऔरा, जिला–गजरौला, उ0प्र0 को प्रथम साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में सत्य प्रकाश प्रथम, कुलदीप वर्मा द्वितीय एवं आकाश वर्मा तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

कुलदीप वर्मा,
साझेदार

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम निर्भय श्रीवास्तव पुत्र पवन कुमार श्रीवास्तव है। जो शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 3925 6585 1175 में उसका नाम शौर्य श्रीवास्तव अंकित हो गया है। जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम निर्भय श्रीवास्तव पुत्र पवन कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवन कुमार श्रीवास्तव
पुत्र विजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
निवासी 196बी/1, चक रघुनाथ,
नैनी, प्रयागराज, उ0प्र0।

NOTICE

Adarsh Kumar Singh R/o Village Pokhara, Post-Babu Bel, Dist. Ballia (U.P.) declares via affidavit No. IN-UP-19769067046298X dated 25-02-2025 before Ballia District Court that my name in my daughter (Vartika Singh) 12th Marksheet has been wrongly written as Adarsh Singh. My actual name is Adarsh Kumar Singh as per my Aadhar Card and other Government Documents, furthermore, my name in my daughter's 10th marksheet is correctly written as Adarsh Kumar Singh.

Adarsh Kumar Singh.

पी0एस0यू0पी0–50 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।